रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एल)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1984 (आषाढ़ 2, 1906)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1984 (ASADHA 2, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	507
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	787
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	19
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1053
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों पर जारी की गई अधिसूचनाएं	13981
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	439
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2097
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	99
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्रदान नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGES
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	507
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	787
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	19
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1053
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) o General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	13981
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	439
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2097
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	99
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc, both in English and Hindi ..	*

* Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1984

सं० 66-प्रेज/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सचिन्द्र नाथ दूबे,
पुलिस निरीक्षक,
कदमकुआं,
पटना (बिहार)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28 मार्च, 1982, की शाम को निरीक्षक सचिन्द्र नाथ दूबे और अन्य पुलिस कार्मिक बिहार के राज्यपाल की अनुरक्षक ड्यूटी के बाद एक जीप में वापस आ रहे थे। मोहल्ला लंगरटोला, पटना, पहुंचने पर उन्होंने बम विस्फोट और गोलीबारी की आवाजें सुनी। कुछ गंभीर विपत्ति का आभास होने पर पुलिस दल तुरन्त घटनास्थल की ओर बढ़ा। घटना-स्थल पहुंचने पर उन्होंने नाजुक स्थिति में जख्मी हुए एक व्यक्ति को लेटे देखा। पुलिस दल को सूचना दी गई कि अपराधी तुनी सिंह, शिवोजी सिंह और अशोक सिंह वहां एक स्कूटर पर आए थे और अपराध करने के बाद चूड़ी बाजार की तरफ भाग गए।

निरीक्षक दूबे और पुलिस दल ने तुरन्त अपराधियों का पीछा किया तथा राजेन्द्र नगर के नजदीक पानी के टैंक के पास उन्हें जा घेरा। अपने को पुलिस से घिरा हुआ पाकर अपराधियों ने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं। हाथापाई के बाद पुलिस दल दो अपराधियों को पकड़ सका और तीसरा अपराधी भाग गया। पुलिस दल ने जवाब में गोलियां नहीं चलाई क्योंकि मुठभेड़ के स्थान के नजदीक अधिक दुकानें थीं और गोलीबारी से नजदीक खड़े हुए कुछ दर्शक जख्मी हो सकते थे।

इस मुठभेड़ में निरीक्षक सचिन्द्र नाथ दूबे ने अनुकरणीय साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 मार्च, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 67-प्रेज/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नगेन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
पुलिस उप-निरीक्षक,
नैनीताल (उ० प्र०)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

बख्तावर सिंह का सूचीबद्ध कुख्यात गिरोह जिला बिजनौर के रहर और अफजलगढ़ तथा मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। इस गिरोह ने डकैती, हत्या, अपहरण और लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र छीनने के कई अपराध किए थे।

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (एस० एस० पी०) नैनीताल ने उपनिरीक्षक नगेन्द्र सिंह को इस गिरोह को समाप्त करने के कठिन कार्य के लिए विशेष रूप से चुना। अपहरण के मामले में उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह ने गांव भोगपुर डेम थाना जेसपुर के निकट क्षेत्र की छानबीन करने के लिए अपने कर्मचारियों के अलग-अलग दल बनाए। 25 जनवरी, 1982, को जब क्षेत्र की छानबीन की जा रही थी, तो उप-निरीक्षक को मुख्तियार सिंह से सूचना मिली कि उपयुक्त गिरोह के पांच सदस्यों ने उसके पिता और दो चाचों को बन्धक कर रखा था और वे उसके चाचा उत्तम सिंह की झोंपड़ी में हत्या करने की योजना बना रहे थे। यह सूचना प्राप्त होने पर उप निरीक्षक नगेन्द्र सिंह तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्त व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। अभियुक्तों ने पुलिस दल पर गोली चला दी और झोंपड़ी से भागने की कोशिश की। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप कांस्टेबल बिजयपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने आपको जोखिम में डालकर उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह ने तुरन्त झोंपड़ी में प्रवेश किया और एक अभियुक्त पर झपटे तथा उसे खींचकर जीवित बाहर निकालने की कोशिश की। इस झड़प के दौरान अभियुक्तों द्वारा रोके हुए तीन व्यक्ति बचकर भाग निकले। यह देखकर कि उनका एक साथी उप-निरीक्षक द्वारा पकड़ लिया गया, गिरोह के अन्य सदस्यों ने उप-निरीक्षक पर गोली चला दी जिससे उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

पुलिस दल के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अभियुक्तों पर गोली चला दी। अभियुक्त गुरदीप सिंह बचकर भागने की कोशिश करते हुए पुलिस दल की गोली से मारा गया। कान्स्टेबल विजयपाल सिंह यद्यपि गंभीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी पुलिस दल की सहायता करते रहे और एक अन्य अपराधी मान सिंह को मारने में सफल हुए। परन्तु गिरोह के अन्य तीन सदस्य बच कर भाग गए।

इस मुठभेड़ में उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और अपनी सेवा की उच्चतम परम्पराओं के अनुरूप अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 1982, से दिया जाएगा।

सं० 68-प्रेस/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विजयपाल सिंह,
कांस्टेबल सं० 753 सिविल पुलिस,
नैनीताल (उ० प्र०)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

बख्तावर सिंह का सूचीबद्ध कुख्यात गिरोह जिला बिजनौर के रहर और अफजलगढ़ तथा मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था। इस गिरोह ने डकैती, हत्या, अपहरण और लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र छीनने के कई अपराध किए थे।

श्री करतार सिंह के अपहरण का मामला सूचित किया गया और उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह ने इस मामले की जांच पड़ताल की। उन्होंने गांव भोगपुर डेम जैसपुर के निकट क्षेत्र की छानबीन करने के लिए अपने कर्मचारियों के अलग-अलग दल बनाए। 25 जनवरी, 1982, को जब क्षेत्र की छानबीन की जा रही थी तो उप निरीक्षक को मुख्तियार सिंह से सूचना मिली कि उपर्युक्त गिरोह के पांच सदस्यों ने उनके पिता और चाचों को बन्धक कर रखा था और वे उसके चाचा उत्तम सिंह की झोंपड़ी में हत्या करने की योजना बना रहे थे। उप-निरीक्षक नगेन्द्र सिंह तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और अभियुक्त व्यक्तियों को आत्मसमर्पण के करने लिए ललकारा। अभियुक्तों ने पुलिस दल पर गोली चला दी और झोंपड़ी से भागने की कोशिश की। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप कांस्टेबल विजयपाल सिंह जो उप निरीक्षक के साथ थे, गंभीर रूप से घायल हो गए।

कांस्टेबल विजयपाल सिंह यद्यपि गंभीर रूप से घायल हो गए थे फिर भी पुलिस दल की सहायता करते रहे और एक अन्य अपराधी मान सिंह को मारने में सफल हुए। परन्तु गिरोह के अन्य तीन सदस्य बच कर भाग गए।

कान्स्टेबल विजयपाल सिंह ने इस प्रकार उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 1982, से दिया जाएगा।

सं० 69-प्रेस/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री सोमेश्वर नारायण चौहान,
पुलिस उप-निरीक्षक,
बिक्रमगंज,
पटना

श्री मोहम्मद इदरीस खां,
कांस्टेबल सं० 97,
बी० ए०म० पी० II,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अक्तूबर, 1980, को लगभग 14.05 बजे बिक्रमगंज थाने के प्रभारी उप-निरीक्षक सोमेश्वर नारायण चौहान को सूचना प्राप्त हुई कि हरी दुसाध और उसके साथी थाना बिक्रमगंज के अन्तर्गत गांव शिवपुर के एक मकान में निकटवर्ती गांव में डकैती डालने के लिए एकत्र हुए थे। श्री चौहान ने एक छोटे दल को एकत्र किया और तुरन्त गांव में गए।

पुलिस दल को मकान के मुख्य स्थानों पर तैनात करके उप-निरीक्षक सोमेश्वर नारायण चौहान स्वयं मुख्य द्वार से मकान में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राइफलों और बन्दूकों से लैस कुछ डाकुओं को देखा और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा किन्तु डाकुओं ने इसका जवाब गोली से दिया। चूंकि मुख्य द्वार से बाहर निकलने के रास्ते को पूरी तरह घेरा हुआ था इसलिए डाकुओं को पीछे हटना पड़ा और कमरों में शरण लेनी पड़ी। प्रवेश द्वार के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को कांस्टेबल राघव राय ने घेरा हुआ था, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस बीच, कमरे के अन्दर से एक छेद में से चलाई गई गोली उनकी छाती के दाहिने भाग में घुस गई और वे गिर पड़े। श्री चौहान ने घायल सिपाही को संभाला और तुरन्त अस्पताल पहुंचाया जहां उनका एक घंटे के बाद निधन हो गया। तत्पश्चात् उन्होंने शेष बल के साथ मकान पर आक्रमण किया और अपराधियों पर लगातार गोली बारी आरम्भ कर दी। अपने छोटे दल से अपराधियों का मुकाबला करना कठिन जानकर श्री चौहान ने अधिक कुमुक मांगी। बिक्रमगंज पुलिस उप अधीक्षक और निरीक्षक उपलब्ध बल के साथ तुरन्त गांव में गए और वहां पहुंच कर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों, मकान की छत और नीचे के मुख्य द्वार और उस मकान के चारों ओर जहां डाकू शरण लिए हुए

थे और गोली चला रहे थे, पर सभी व्यवस्था की। सिपाही इदरीस खां और कांस्टेबल बिरेन्द्र झा ने अपने को खतरे में डालकर प्रांगण में घुसे और डाकुओं पर गोली चलाई। डाकुओं का अब पूर्णतः मनोबल टूट चुका था। अपने आपको कठिनाई में पाकर उन्होंने हताश होकर भारी गोली बारी करके बचकर भागने की कोशिश की जिसमें कांस्टेबल नगेन्द्र सिंह गोली लगने से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस दल इससे भयभीत नहीं हुआ और उन्होंने हमले को और तेज कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप तीन डाकू मारे गए और बाकी दो डाकू पकड़ लिए गए। मकान से भारी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद तथा लूटी गई सम्पत्ति बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में उप निरीक्षक सोमेश्वर नारायण चौहान और कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस खां ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1980, से दिया जाएगा।

सं० 70-प्रेस/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राधा कृष्ण प्रसाद,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बिक्रमगंज,
पटना।

श्री बेदेही शरण सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
बिक्रमगंज,
पटना।

श्री बिरेन्द्र झा,
कांस्टेबल सं० 492,
बी० एम० पी० 2,

श्री नगेन्द्र सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल (ड्राईवर) सं० 137,

श्री राघव राय, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं० 418,
बी० एम० पी० 2,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

5 अक्तूबर, 1980, को लगभग 14.05 बजे जिला रोहतास के थाना बिक्रमगंज के थाना प्रभारी श्री सोमेश्वर नारायण चौहान, पुलिस उप निरीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि हरिकुसाध और उसके साथी थाना बिक्रम गंज के अन्तर्गत गांव शिवपुर के एक मकान में निकटवर्ती गांव में डकैती डालने के लिए एकत्र हुए थे। श्री चौहान ने उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षक, बी० एम० पी० 2 के जवानों और होम गार्डों के एक छोटे से बल को एकत्र किया और दो पुलिस वाहनों में तुरन्त गांव में गए।

उपलब्ध बल के साथ, आवश्यक व्यवस्था करने के पश्चात् उन्होंने मुख्य द्वार से प्रवेश किया और राइफलों और बन्दूकों से लैस कुछ डाकुओं को देखा। उन्होंने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन डाकुओं ने उत्तर में गोली चलाई। चूंकि बाहर जाने का रास्ता मुख्य द्वार से था और उसे पूरी तरह घेरा हुआ था इसलिए डाकुओं को पीछे हटना पड़ा और कमरों में शरण लेनी पड़ी। मुख्य द्वार का दक्षिण पूर्वी भाग कांस्टेबल राघव राय ने घेरा हुआ था जिन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस दौरान कमरे के अन्दर से एक छेद में से एक गोली आई और कांस्टेबल राय की छाती के दाहिने भाग में घुस गई जिसके परिणामस्वरूप वे गिर पड़े। उनको तुरन्त बिक्रमगंज अस्पताल ले जाया गया जहां एक घंटे के पश्चात् उनका निधन हो गया। उप निरीक्षक चौहान ने और सहायता तथा कुमुक मांगी। सूचना प्राप्त होने पर श्री आर० के० प्रसाद, पुलिस उप अधीक्षक श्री बैदेही शरण सिंह, निरीक्षक और उपलब्ध चार सिपाहियों के साथ तुरन्त गांव में गए। वहां पहुंच कर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और व्यक्तिगत खतरा लेकर समस्त व्यवस्था की। श्री आर० के० प्रसाद और श्री बैदेही शरण सिंह, निरीक्षक ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों, निकट के मकान की छतों और नीचे मुख्य द्वार तथा उस मकान के आस पास जहां डाकुओं ने शरण ले रखी थी, पर सभी प्रबन्ध किए और तुरन्त गोली चलाई। पुलिस उप-अधीक्षक ने आवश्यक निर्णय लिया और अपने जवानों से प्रांगण में दाखिल होने और जवाब में गोली चलाने के लिए कहा। कांस्टेबल मोहम्मद इदरीस खां और बिरेन्द्र झा बड़े खतरे की स्थिति में प्रांगण में दाखिल हुए और गोली चलाई। अब डाकुओं का मनोबल पूरी तरह समाप्त हो चुका था। स्वयं को कठिनाई में पाकर उन्होंने हताश होकर भारी गोलीबारी में बचकर भागने की कोशिश की जिसमें कांस्टेबल नगेन्द्र सिंह गोली लगने से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई।

श्री आर० के० प्रसाद पुलिस उप-अधीक्षक ने डाकुओं के सम्पूर्ण गिरोह को पकड़ने के लिए कुछ अधिकारियों और जवानों के साथ घर के प्रांगण और कमरों में घुस गए तथा 4 मृत डाकुओं के शव को पाने और शेष दो डाकुओं को गिरफ्तार करने में सफल हुए। मकान से काफी मात्रा में शस्त्र/गोलियां और लूटी गई सम्पत्ति बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में उप-अधीक्षक राधा कृष्ण प्रसाद, निरीक्षक बैदेही शरण सिंह, कांस्टेबल बिरेन्द्र झा, कांस्टेबल नगेन्द्र सिंह और कांस्टेबल राघव राय ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1980, से दिया जाएगा।

के० सी० सिंह,
राष्ट्रपति का उप-सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 1984

आदेश

सं० 27/12/84-सी० एल०-II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उप-धारा (I) के खण्ड (II) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा उक्त धारा 209 क के उद्देश्यों के लिए कम्पनी कार्य विभाग में वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री केशव प्रसाद को प्राधिकृत करती है।

सी० एल० प्रथम, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नियम

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 1984

सं० 5/10/84-के० से०-I—निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेड-1) की चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1984 में ली जाने वाली सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सम्बन्धित मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का (समेकित ग्रेड II तथा III)

वर्ग III

रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के उप संवर्ग का ग्रेड I

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड।

1. प्रत्येक ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पद सरकार द्वारा निश्चित रिक्तियों को देखते हुए आरक्षित रखे जायेंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इस नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

3. नीचे कालम 1 में उल्लिखित स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त ग्रेडों और सेवा के अस्थाई अधिकारी जो 1-7-1984 को और कालम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कालम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिये परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

कालम 1	कालम 2	कालम 3
1	2	3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में अथवा दोनों में जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग I
सामान्य संवर्ग का ग्रेड IV आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड II और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' का साइफर उप संवर्ग का ग्रेड-II	सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV में अथवा आशुलिपिक उप संवर्ग के ग्रेड II में अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के साइफर उप संवर्ग के ग्रेड 2 में अथवा दोनों में अथवा ऊपर के सभी ग्रेडों में जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग II
रेल बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड और रेल बोर्ड आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में अथवा रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' मे अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग III
केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड ग अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग IV
भारतीय विदेश सेवा 'ख' का आशुलिपिक उप संवर्ग का ग्रेड II	भारतीय विदेश सेवा 'ख' के आशुलिपिक उप संवर्ग के ग्रेड II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग V

1	2	3
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशु-लिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशु-लिपिक सेवा के ग्रेड II ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशु-लिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–II /ग्रेड 'ग' में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा।	वर्ग VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक आशुलिपिक ग्रेड II	आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड "ग" अथवा आसूचना ब्यूरो की आशुलिपिक ग्रेड सेवा के आशुलिपिक II में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	वर्ग VIII

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त हो गया है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 6 वर्ष पहले हो गई और उस ग्रेड में उसने कम से कम 4 वर्ष अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1:—ऊपर के कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थाई अथवा नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिये संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा दी गई सेवा कालम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिये अर्हक होगी।

परन्तु यह कालम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिनको संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर नियुक्ति किया गया हो और जो कालम 1 में संदर्भित ग्रेडों तथा सेवाओं में कोई पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखते हैं।

टिप्पणी 2:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वे सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा की शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिये विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिये गये हों, वर्ग I और वर्ग V के लिये परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3:—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, जो भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वर्ग II तथा V के लिये परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

4. दो वर्गों के लिये प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में अपनी पसन्द के अनुसार वर्गों का वरीयता क्रम स्पष्ट रूप में लिख दें।

विशेष ध्यान:— उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट वर्गों के वरीयता क्रम में परिवर्तन करने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा अनुरोध संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में लिखित परीक्षा के परिणाम के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता।

5. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।

7. जिस उम्मीदवार ने:—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो; अथवा

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; अथवा

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो; अथवा

(xii) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और उसके साथ ही उसे:—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक—

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो।

8. उम्मीदवार को आयोग के नोटिस के अनुबन्ध में निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

9. परीक्षा के बाद अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये अंकों के आधार पर आयोग योग्यता क्रम उम्मीदवारों की सूची बनायेगा, और उसी क्रम से जितने उम्मीदवार अर्हता प्राप्त समझे जायेंगे उन्हें अपेक्षित संख्या तक प्रत्येक वर्ग की चयन सूची में शामिल करने के लिये आयोग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।

किन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा की कमी पूरी करने के लिये आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिये उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि वे उम्मीदवार प्रत्येक वर्ग की सूची में शामिल किये जाने के लिये उपयुक्त हों।

नोट:—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिये सरकार पूरी तरह से सक्षम है। कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

10. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

11. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद सन्तुष्ट न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिये हर प्रकार से योग्य है।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिये अनुशंसित किये गये किसी उम्मीदवार को चयन के लिये अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

12. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसकी किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेल बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" आसूचना ब्यूरो आशुलिपि सेवा के ग्रेड-II, अथवा भारतीय विदेश सेवा शाखा "ख" में किसी पद पर उसका अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

13. जिन उम्मीदवारों ने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में नौकरी की हो और जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवावधि के दौरान ली गई अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अनुभाग अधिकारी ग्रेड की (रेल बोर्ड) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में न बैठ सके हों, यदि इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये अन्तिम रूप से उनकी अनुशंसा की जाती है तो, उनकी वरिष्टता भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विशेष आदेशों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

बी० बी० चड्ढा, अवर सचिव

परिशिष्ट I

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार ली जाएगी:—

भाग 1(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा:—

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपिक परीक्षा।

टिप्पणी I:— वर्ग IV, V, VI और VII हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अर्हक आशुलिपि-परीक्षण देना होगा किन्तु जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं केवल उन्हीं के उत्तर-पत्रकों का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी II:— उम्मीदवार को अपने शार्टहैंड नोट्स को टाइप-राइटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और ऐसे उद्देश्य के लिए उन्हें अपने टाइप-राइटर साथ लाने होंगे।

भाग II:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवेक पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उनके सेवा अभिलेख का मूल्यांकन जिसके अधिकतम 150 अंक होंगे।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:—

क्रम सं०	विषय
1	2
(1)	टिप्पणी तथा मसौदा लेखन, लेखनसार
(2)	(i) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्य-विधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग I और II के लिए)
	(ii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्य-विधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग IV, V और VI के लिए)
	(iii) भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय में कार्य-विधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग VIII के लिए)
	(iv) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली (वर्ग III के लिए)
	(v) कार्यालय पद्धति तथा कार्य प्रणाली-I (वर्ग VII के लिए)
(3)	(i) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान, (वर्ग I, II, III और VIII के लिए)
	(ii) भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा क्रियाविधि का सामान्य ज्ञान (वर्ग V, VI तथा VII के लिए)

1	2
(4)	(i) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग I और VIII के लिए)
	(ii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग II के लिए)
	(iii) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग IV के लिए)
	(iv) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग V के लिए)
	(v) रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग III के लिए)
	(vi) रेलवे वित्तीय तथा सेवा नियमावली—I (वर्ग VII के लिए)
	(vii) वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग VI के लिए)
(5)	सामान्य अध्ययन (कोड सं० 02) (वस्तु परक प्रकार) प्रत्येक प्रश्न-पत्र के अधिकतम 100 अंक होंगे और इसके लिये 2 घण्टे का समय दिया जाएगा ।

टिप्पणी:— सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में केवल वस्तु परक प्रकार के प्रश्न हों। विस्तृत विवरण के लिए [जिसमें नमूने के प्रश्न भी दिए गए हैं, कमीशन के नोटिस (अनुबन्ध II)] उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका को देखें ।

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण अनुसूची में दिया गया है।

4. वर्ग I—VII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को तथा प्रश्न पत्र (2), (3), (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (1) तथा प्रश्न पत्र (4) के उत्तर अंग्रेजी में देने होंगे । प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

वर्ग VIII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र (3) और (5) के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा, प्रश्न पत्र (1), (2) और (4) के उत्तर अंग्रेजी में होंगे। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

टिप्पणी 1:—उपर्युक्त सभी तीनों/दोनों प्रश्न-पत्रों के लिये एक ही विकल्प होगा और विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए अथवा एक ही प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग नहीं।

टिप्पणी 2:—उक्त प्रश्न-पत्र (पत्रों) के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन-पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जायेगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

टिप्पणी 3.—प्रश्न-पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, यदि कोई हो, के साथ अंग्रेजी पर्याय भी ब्रेकिट में दे सकते हैं।

टिप्पणी 4:—यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न-पत्र (पत्रों) का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

5. वर्ग IV, V, VI, VII के लिए प्रतियोगिता में भाग ले रहे जो उम्मीदवार, (2) (3) और (5) तीन प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में ही देने का विकल्प देंगे, उन्हें आशुलिपिक परीक्षा भी केवल हिन्दी (देवनागरी) में ही देनी होगी और जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी अंग्रेजी में देनी होगी।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेख लेखन शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 50/65 मिनट में लिप्यंतर करना होगा।

7. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल मतदाता ज्ञान के लिये नम्बर नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत अंक तक अस्पष्ट लिखाई के लिये काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई हो।

12. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात्, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

टिप्पण तथा मसौदा, लेखन, सार लेखन

उम्मीदवारों को विशिष्ट समस्याओं के सम्बन्ध में टिप्पण तथा मसौदा तैयार करने होंगे और साथ ही सारांश अथवा सार के लिए पैराग्राफ भी प्रश्न-पत्रों में रखे जाएंगे।

भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 1, 2, 4 5, और 6 के लिए)।

इसका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है। इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(ii) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां ।

(iii) संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका। भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली (वर्ग 8 के लिए)।

इनका उद्देश्य भारत सरकार के सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालय के कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) अधिसूचना के समय प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका

(ii) कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां

(iii) आसूचना ब्यूरो के स्थाई आदेश

कार्यालय पद्धति और कार्य प्रणाली (वर्ग 3 और 7 के लिए)

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली में गहन तथा विस्तृत परीक्षा है, इस विषय पर कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) इस अधिसूचना के समय रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा जारी की गई प्रचलित कार्यालय पद्धति पुस्तिका।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित आदेशों की पुस्तिका"।

भारत के संविधान और सरकारी मशीनरी, संसद कार्य प्रणाली तथा कार्यविधि का सामान्य ज्ञान

टिप्पणी:—यह आशा की जाएगी कि निम्नलिखित विषयों का ज्ञान हो—

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धान्त, (2) लोक सभा तथा राज्य सभा में कार्य संचालन तथा पद्धति विषयक नियम, (3) भारत सरकार की कार्य प्रणाली का आयोजन—मंत्रालयों, विभागों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनके बीच विषयों को आबंटित करना और उनके परस्पर सम्बन्ध।

सामान्य वित्तीय तथा सेवायें नियम (वर्ग 1, 4 और 8 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकों की अनुशंसा की जाती है :—

(i) मूल तथा अनुपूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी संकलन)

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(v) सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत), 1963

(vi) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978।

सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 2 और 5 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती है :—

(i) वित्तीय तथा पूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी संकलन)

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(iv) सामान्य वित्तीय नियम (संशोधित तथा बृहत) संकलन, 1963

(v) वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियम, 1978

(vi) भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961

(vii) भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार

(viii) सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना

(ix) भारतीय विदेश सेवा (आचरण तथा अनुशासन) नियम, 1961

रेल वित्तीय तथा सेवा नियम (वर्ग 3 और 7 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(i) भारतीय रेल सामान्य कोड—खण्ड-I

(ii) भारतीय रेल स्थापना कोड—खण्ड-I

(iii) रेल सेवाएं (आचरण) नियम, 1966

(iv) रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील नियम), 1968।

वित्तीय विनियम तथा सेवा नियम (वर्ग 6 के लिए)

निम्नलिखित पुस्तकें अनुशंसित की जाती हैं :—

(i) मूल नियम तथा अनुपूरक नियम (ए० जी० पी० एण्ड टी० संकलन अथवा चौधरी संकलन)

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964

(v) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972

(vi) वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण 1963)

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र में वर्तमान समय की अभिवृद्धि तथा महत्व वाले विषय शामिल किये जाएंगे। इनमें पंचवर्षीय योजनाओं तथा सायुदायिक विकास योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के ज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के वर्तमान कार्यों के मेधावी ज्ञान जिसकी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है, का पता लगाने के लिए प्रश्न भी रखे जायेंगे। उम्मीदवारों के उत्तर से प्रश्नों के बारे में उनके मेधावी ज्ञान का पता चलने की आशा की जाएगी, किसी पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि के विस्तृत ज्ञान की नहीं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 1984

संकल्प

सं० वी० 19012/4/79-एम० टी० पी० एण्ड ओ० पी०— स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 20 जनवरी, 1982 के संकल्प सं० वी० 19012/4/79-एम० टी० पी० एण्ड ओ० पी० का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी तकनीकी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए, समिति का पुनर्गठन किया जाए।

2. इस पुनर्गठित समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :—

1. अपर सचिव एवं आयुक्त (परिवार कल्याण)	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प० क०)	सदस्य
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य

5 वरिष्ठ उप महानिदेशक (आर० बी०) सदस्य
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली ।

6. अध्यक्ष, सदस्य
फेडरेशन ऑफ आबसटेटटिक्स एण्ड
गायनाकोलोजिकल सोसाइटी ऑफ इण्डिया
अथवा उनका प्रतिनिधि ।

7. अध्यक्ष, सदस्य
ऑल इण्डिया पेडियाट्रिक्स एसोसिएशन अथवा
उनका प्रतिनिधि ।

8. अध्यक्ष, सदस्य
सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया अथवा
उनका प्रतिनिधि ।

9 अध्यक्ष, सदस्य
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन अथवा
उनका प्रतिनिधि ।

10. अध्यक्ष, सदस्य
नेशनल एसोसिएशन ऑफ वालेंटरी
स्टेरिलाइजेशन ऑफ इण्डिया अथवा
उनका प्रतिनिधि ।

11 डॉ० दीपक भाटिया, सदस्य
सलाहकार, फेमिली प्लानिंग फाउन्डेशन,
नई दिल्ली ।

12. निदेशक, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा/राज्य परिवार कल्याण
अधिकारी, महाराष्ट्र

13. निदेशक, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा/राज्य परिवार कल्याण
अधिकारी, तमिलनाडु ।

14. निदेशक, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा/राज्य परिवार कल्याण
अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

15 निदेशक, सदस्य
स्वास्थ्य सेवा/राज्य परिवार कल्याण
अधिकारी, उडीसा ।

16. डॉ० आर० पी० सोनावाला, सदस्य
नावरीसजी वाडिया मैटरनिटी अस्पताल,
बम्बई ।

17. डॉ० (कु०) एम० कोछर, सदस्य
चिकित्सा अधीक्षक, कस्तूरबा अस्पताल,
नई दिल्ली ।

18. डॉ० (श्रीमती) एस० मोहसिना, सदस्य
निदेशक एवं प्रोफेसर ऑफ गाइनाकालोजी
एण्ड आबस्टेटटिक्स ।
जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़ ।

19. डॉ० (श्रीमती) उषा शर्मा, डायरेक्टर सदस्य
एण्ड प्रोफेसर गाइनाकोलोजी एण्ड
आबस्टेटटिक्स, एल० एल० आर० एम०,
मेडिकल कालेज, मेरठ, (उत्तर प्रदेश) ।

20. प्रोफेसर एम० एम० कपूर, सदस्य
प्रोफेसर आफ सर्जरी एण्ड आफिसर
इनचार्ज (डब्ल्यू० एच० ओ० सी० सी० आर०)
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली ।

21. प्रोफेसर ए० एन० गुप्ता, सदस्य
प्रोफेसर आफ आबस्टेटटिक्स एण्ड गाइनाकोलोजी
एण्ड आफिसर इनचार्ज (डब्ल्यू० एच० ओ० सी० सी०
आर०) पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान, चण्डीगढ़ ।

22 डा० टी० सी० आनन्द कुमार, सदस्य
निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च इन
रिप्रोडक्शन एण्ड आफिसर इनचार्ज (डब्ल्यू०
एच० ओ० सी० आर०)
बम्बई ।

23 उपायुक्त (टी० ओ०) सदस्य-सचिव
स्थायी रूप से आमंत्रित

24 अपर महानिदेशक (चिकित्सा)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

25 अपर महानिदेशक (पी० एच०),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।

26 उपायुक्त (एम० सी० एच०) ।

3. इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे परिवार कल्याण कार्यक्रम खाराकर लूप निवेशन और नसबन्दी प्रक्रियाओं चिकित्सा द्वारा गर्भ-समापन, मुख सेव्य गर्भ निरोधकों और गर्भ रोधन के अन्य किसी तरीके से सम्बन्धित सभी समस्याओं जिनमें प्रशासनिक, सगठनात्मक और तकनीकी पहलू भी शामिल हैं पर विचार करना और उनके बारे में सरकार को सलाह देना ।

4 इस समिति के पास कार्यक्रम में सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञों को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए सहयोजित/आमन्त्रित करने की शक्ति होगी ।

5. इस समिति की अवधि दो वर्ष होगी ।

6. इस समिति के सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों के सम्बन्ध में उन नियमों जिनसे वे प्रभावित होते हैं, के अनुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता मिलेगा और इस पर होने वाला खर्च उप स्रोत से पूरा किया जाएगा, जहां से उन्हें वेतन मिलता है । गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के अनुसार नियमित किया जाएगा और जैसा कि स्वामी के कम्पाइलेशन आफ एफ० आर० के परिशिष्ट 10 और एस० आर० भाग I और भाग II में कहा गया है, के अनुसार आदेश जारी किए जाएंगे ।

7. इस पर होने वाला खर्च मांग संख्या 49 परिवार कल्याण, मुख्य शीर्ष 281 क—परिवार कल्याण क–1 निर्देशन और प्रशासन, क–1(1) मुख्यालय में तकनीकी विंग क–1 (1) (3)—यात्रा व्यय 1984–85 के अन्तर्गत मंजूर किए गए बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

एम० के० सुधाकर, संयुक्त सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 31 मई 1984

संकल्प

सं० 1–26/83–सी० एस० डब्ल्यू० बी०—भारत सरकार इस मंत्रालय के दिनांक 28 सितम्बर, 1983 के संकल्प सं० 1–26/83–सी० एस० डब्ल्यू० बी० में आंशिक आशोधन करते हुए श्रीमती सुशीला शंकर आदिवेरेकर के स्थान पर श्रीमती मैमूना सुल्तान को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामान्य निकाय में (राज्य सभा) के प्रतिनिधि के रूप में तत्काल नामित करती है ।

2. सामान्य निकाय का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1986 तक होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति–लिपि निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सब राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय ।
6. योजना आयोग ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।
10. लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, कचन जुंगा, बिल्डिंग, नई दिल्ली ।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर ।
14. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
15. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब अध्यक्ष ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वेद मारवा, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1984

संकल्प

सं० 83–टी० जी०–III/462/1—भारत सरकार ने भारतीय रेलों पर एक केन्द्रीय बुक स्टाल सलाहकार समिति गठित करने का विनिश्चय किया है जो रेल मंत्रालय स्तर पर सलाह देने का कार्य करेगी ।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1.	डा० पी० एन० मलहोत्रा, निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, एन० आई० ई० कैम्पस, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	श्री जयपाल नागिया, प्रमुख प्रकाशन विभाग, एन० सी० ई० आर०टी०, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्री एम० ए० कृष्णमाचारी, प्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ए–5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली–16 ।	सदस्य
4.	श्री एम० पी० श्रीवास्तव, अपर निदेशक, यातायात वाणिज्य (सा०), रेलवे बोर्ड ।	सदस्य–सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे

(क) रेलों पर बुक-स्टालों के माध्यम से बिक्री के लिए पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के चयन सम्बन्धी उन मामलों पर सलाह देना जो समिति के विचारार्थ भेजे जाएंगे ।

(ख) रेलों पर कुछ स्टालों के माध्यम से बिक्री के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाएं, जो अध्यक्ष के अनुमोदन से व्यक्तिगत सदस्य लाए करना चाहेंगे, के चयन सम्बन्धी मामलों में सलाह देना ।

(ग) स्थायी बुक स्टालों तथा चलते–फिरते पुस्तकालयों की सेवा में और सुधार के उपाय सुझाने के लिए निरीक्षक आयोजित करना ।

अजय जौहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1984

संकल्प

स० ई०-11015/33/82-हिन्दी—इस मंत्रालय के संकल्प सं० ई०-11015/1/80-हिन्दी, दिनांक 14 अगस्त, 1981 तथा 8-2-1984 के क्रम में, भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति के सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र पाडेय, संसद सदस्य लोक सभा के स्थान पर श्रीमती विद्या चेलूपति, ससद सदस्य, लोक सभा को तत्काल से समिति के 3 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मन्त्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियन्त्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजेन्द्र सिंह जाफा, सयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून, 1984

स० क्यू०-16012/5/83-इ्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4 (iv) और (vi) के साथ पठित नियम 3 (ii) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना की जारी होने की तारीख से श्री आर० सी० खेत्रपाल, सहायक शैक्षणिक सलाहकार (प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली के स्थान पर डा० वी० वेंकट सेशैया अपर निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, जाम नगर हाउस हटमेन्टस, नई दिल्ली को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2 तदनुसार भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की तारीख 27 अगस्त, 1981 की अधिसूचना सं० क्यू०-16012/3/79-इ्ल्यू० ई०, समय-समय पर यथा संशोधित में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि के लिए	अथात् :—
"2. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय	श्री आर० सी० खेत्रपाल, सहायक शैक्षणिक सलाहकार, (प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग), शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली।"

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"2. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय	डा० वी० वेंकट सेशैया, अपर निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, ब्लाक नं० 10, गली नं० 5, जाम नगर हाउस, हटमेन्टस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th June 1984

No. 66-Pres/84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sachindra Nath Dubey,
Inspector of Police,
Kadamkuan, District Patna,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the evening of the 28th March, 1982, Inspector Sachindra Nath Dubey and other Police Personnel were returning in a Jeep after escorting the Governor of Bihar. On reaching Mohalla Tangrtoly, Patna, they heard sounds of explosion and firing. Sensing some serious trouble, the Police Party rushed towards the spot. On reaching the spot they found a person lying injured in precarious condition. The Police Party was informed that criminals Tuni Singh, Sheojee Singh and Ashok Singh had come there on a scooter and after committing crime have fled away towards Churi Bazar.

2. Inspector Dubey and the police party immediately went in pursuit of the criminals and overtook them near Rajendra Nagar Tower. Finding themselves surrounded by the Police, the criminals resorted to indiscriminate firing on the police party. After a scuffle, the Police Party succeeded in arresting two of the criminals and the third criminal escaped. The Police Party did not open fire in return because of the crowded shops near the place of scuffle as the firing might have injured some spectators standing near by.

In this encounter Inspector Sachindra Nath Dubey exhibited exemplary courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th March, 1982.

No. 67-Pres/84.—The President is pleased to award the Presidents Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Nagendra Singh,
Sub-Inspector of Police,
Nainital.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded

The listed notorious gang of Bakhtawar Singh has been active in the circle of Rehar and Afzalgarh of district Bijnor and Thakurdwara of District Moradabad. The gang had committed several crimes of dacoity, murder, kidnapping and snatching of licenced firearms.

Sub-Inspector Nagendra Singh was specially picked up by SSP Naintal for the difficult charge of liquidating this gang. In a case of kidnapping Sub-Inspector Nagendra Singh formed different parties of his staff to comb the area near village Bhogpur Dam PS Jaspur. While combing the area on 25th January, 1982, the Sub-Inspector received information from one Mukhtiar Singh that five members of the above gang had wrongfully restrained his father and two uncles and were planning to murder the victims in the hut of his uncle Uttam Singh. On receipt of this information Sub-Inspector Nagendra Singh rushed to the spot and challenged the accused persons to surrender. The criminals opened fire on police party and tried to escape from hut. As a result of this fire Constable Vijai Pal Singh was severely injured. Unmindful of the grave risk Sub-Inspector Nagendra Singh immediately rushed into the hut and pounced upon one of the accused and tried to drag him out alive. During this scuffle the three persons detained by the accused escaped. Seeing that one of their accomplices had been caught by the Sub-Inspector, the other members of the gnaj fired at the Sub-Inspector who fell down dead on the spot

The other members of the Police party also reached there and opened fire. Accused Gurdeep Singh was shot dead by the Police party while he was trying to escape. Constable Vijai Pal Singh though severely injured continued to support the Police party and was successful in gunning down another culprit Man Singh. The other three members of the gang, however, escaped.

In this encounter Sub-Inspector Nagendra Singh exhibited conspicuous gallantry, courage, devotion to duty and laid down his life in the highest tradition of his service.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th January, 1982.

No. 68-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Vijai Pal Singh,
Constable No. 753, Civil Police,
Nainital, Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

The listed notorious gang of Bakhtawar Singh had been active in the circle of Rehar and Afzalgarh of District Bijnor and Thakurdwara of District Moradabad. The gang had committed several crimes of dacoity, murder, kidnapping and snatching of licensed firearms.

A case of kidnapping Shri Kartar Singh was reported and Sub-Inspector Nagendra Singh took up the investigation of this case. He formed different parties of his staff to comb the area near village Bhogpur Dam PS Jaspur. While combing the area on the 25th January, 1982, Sub-Inspector received information from one Shri Mukhtiar Singh that five members of the above gang had wrongfully restrained his father and two uncles and were planning to murder the victims in the hut of his uncle Uttam Singh. Sub-Inspector Nagendra Singh immediately rushed to the spot and challenged the accused to surrender. The accused opened fire on police party and tried to escape from the hut. As a result of this fire Constable Vijai Pal Singh who was present with the Sub-Inspector, was severely injured.

Constable Vijai Pal Singh though severely injured continued to lend support to the police party and was successful in gunning down dacoit Man Singh. The other three members of the gang, however, escaped.

Constable Vijai Pal Singh thus exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th January, 1982.

No. 69-Pres|84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Someshwar Narayan Chouhan,
Sub-Inspector of Police,
Bikramganj, Patna.

Shri Mohammed Idris Khan,
Constable No. 97, B.M.P. II.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 5th October, 1980, at about 1405 hours, Sub-Inspector Someshwar Narayan Chouhan, Officer-in-Charge of Bikramganj P.S., received information that Hari Dusadh and his associates had assembled in a house in village Shivpur, P.S. Bikramganj, with a view to commit dacoity in a nearby village. Shri Chouhan collected a small force and rushed to the village.

After deploying his party at strategic points around the house, Sub-Inspector Someshwar Narayan Chouhan himself entered through its main door. He noticed some dacoits armed with rifles and guns and challenged them to surrender. But they replied by opening fire. As the exit through the main entrance door had been well covered, the dacoits were forced to retreat and take shelter in the room. The South-east side of the entrance had been covered by Constable Raghav Rai who, with least regard for his personal safety, also asked the dacoits to surrender. In the meantime, a bullet fired through a hole in the room pierced through the right side of his chest and he fell down. Shri Chouhan extricated the injured sepoy and rushed him to the hospital where he breathed his last after an hour. He then with the remaining force attacked the house from all sides and started intermittent fire on the criminals. Finding the resistance tough for his small party, Shri Chouhan solicited reinforcements. The Deputy S.P. and Inspector of Police, Bikramganj, immediately rushed to the village with available force and on reaching there made all arrangements at strategic and vulnerable points, both at the roof tops of the house and at main entrance door below besides all around the house where the dacoits had been taking shelter and opening fire. Sepoy Mohd. Idris Khan and Constable Birendra Jha at a great risk entered the courtyard and opened fire. The dacoits were now completely demoralised. Finding themselves in a predicament, they made a desperate bid to escape under cover of heavy fire in which Constable Nagendra Singh fell down dead. Undettered the Police party pressed the attack and were able to kill three dacoits and arrest the remaining two. A large quantity of arms and ammunitions and looted property were recovered from the house.

In this encounter Sub-Inspector Someshwar Narayan Chouhan and Constable Mohd. Idris Khan exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th October, 1980.

No. 70-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Radha Krishna Prasad,
Deputy Supdt. of Police,
Bikramganj, Patna.

Shri Baidehi Sharan Singh,
Inspector of Police, Bikramganj,
Patna.

Shri Birendra Jha,
Constable No. 492, B.M.P. II
Shri Nagendra Singh, (Posthumous)
Constable (Driver) No. 137.

Shri Raghav Rai, (Posthumous)
Constable No. 418, B.M.P. II.

Statement of services for which the decoration has been awarded

Sub-Inspector Someshwar Narain Chouhan, Officer-in-Charge of Bikramganj P.S. District Rohtas, received information on the 5th October, 1980, at about 1405 hrs that Hari Dusadh and his associates, had assembled in a house in village Shivpur, P.S. Bikramganj with a view to commit dacoity in a nearby village. Sub-Inspector Chouhan collected a small force, comprising of Sub-Inspectors, Asstt. Sub-Inspectors, B.M.P. II Jawans and Home Guards, and rushed to the village in two police vehicles.

After making necessary arrangements with the available force, he entered through the main entrance door and noticed some dacoits armed with rifles and guns. He challenged them to surrender but they replied by opening fire. As the exit through the main entrance door had been wall covered, the dacoits were forced to retreat and take shelter in the rooms. The south-east side of the main entrance had been covered by Constable Raghav Rai who also asked the dacoits to surrender. In the meantime a bullet fired through a hole in the room pierced through the right side chest of Constable Rai, with the result he fell down. He was rushed to Bikramganj Hospital where he breathed his after an hour. Sub-Inspector Chouhan solicited more help and reinforcement. On receipt of information, Shri Radha Krishna Prasad, Deputy Supdt., alongwith Shri Baidehi Sharan Singh, Inspector, rushed to the village with available four Sepoys. On reaching there he took stock of the whole situation and managed the entire show at his personal risk. Shri Radha Krishna Prasad, Deputy Supdt., and Shri Baidehi Sharan Singh, Inspector, made all arrangements at strategic and vulnerable points both at the roof top of a nearby house and at the main entrance door below, besides all around the house where the dacoits had been taking shelter and instantaneously opened fire. The Deputy Supdt. of Police took a momentous decision and called upon his men to enter the courtyard and retaliate. Constables Mohammed Idris Khan and Birendra Jha at a great risk entered the courtyard and opened fire. The dacoits were now completely demoralised. Finding themselves in a predicament, they made a desperate bid to escape under cover of heavy fire in which Constable Nagendra Singh was hit by the bullet and he fell down dead.

In order to nab the entire gang, Shri Radha Krishna Prasad, Deputy Supdt., with some officers and men, entered the courtyard and the rooms of the house and were able to recover four dead bodies of the dacoits and arrest the remaining two dacoits. A large quantity of arms and ammunitions and looted property were recovered from the house.

In this encounter Deputy Supdt. Radha Krishna Prasad, Inspector Baidehi Sharan Singh, Constable Birendra Jha, Constable Nagendra Singh and Constable Raghav Rai exhibited conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 5th October, 1980.

K. C. SINGH
Deputy Secretary to the President

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 4th June 1984

ORDER

No. 27/12/84-CL-II.—In pursuance of clause (n) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri Keshaw Prasad, Senior Technical Assistant in the Department of Company Affairs for the purposes of the said section 209-A.

C. L. PRATHAM
Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 23rd June, 1984

No. 5/10/84-C.S.(I).—The rules for a Combined S.Os. Stenographers (Grade 'B' Grade-I) & Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Union Public Service Commission in 1984 for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers Grade I/ Grade B of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

Category I

Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service

Category II

Section Officers' Grade (Integrated Grade II and III) of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category III

Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service.

Category IV

Grade B of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V

Grade I of the Stenographers' Sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'.

Category VI

Grade B of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII

Grade B of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII

Section Officers' [illegible] of the Intelligence Bureau

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix-I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary officers of the grades and services mentioned in column 1 below who on 1st July 1984 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Column 1	Column 2	Column 3
Assistants' Grade of the Central Secretariat Service and Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.	Category I
Grade IV of the General Cadre, Grade II of the Stenographers' sub-cadre and Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade IV of the general cadre or in Grade II of the Stenographers' sub-cadre or in Grade II of the Cypher sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B' or in two or all the above grades, as the case may be.	Category II
Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both, as the case may be.	Category III
Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service.	Category IV
Grade II of the Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II of the Stenographers' sub-cadre of the Indian Foreign Service 'B'.	Category V
Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	Category VI
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Category VII
Assistants/Stenographers Grade II of I.B.	Not less than 5 years' approved and continuous service in Assistants' Grade of I. B./Stenographers Grade II of I. B. Stenographers' Service.	Category VIII

Provided that in the case of a candidate who had been appointed to the Grades mentioned in Column 1 above on the results of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such as examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he should have rendered not less than 4 years' approved and continuous service in that grade.

NOTE 1.—Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible, and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in Column 2.

This however, does not apply to the officers of the Grade and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre post or to another Service on "transfer" and do not have a lien in the Grades and Services referred to in Column 1.

NOTE 2.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch 'B' and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

NOTE 3.—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

4. A candidate competing for two categories should specify in his application the Categories for which he wishes to be considered in the order of preference.

N.B.—No request for alteration in the order of preference for the Categories originally indicated by a candidate in his application would be considered unless a request for such alteration is received in the Office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the Employment News.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of —

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

3—111GI/84

9. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for each category upto the required number

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in the Select List for each category irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination as a matter of right.

10. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

11. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service /Intelligence Bureau or Stenographer Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade II of the I. B. Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

13. The seniority of candidates who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968 and who could not compete at the Section Officers' Grade Limited Departmental Competitive Examination(s) and Section Officers' Grade (Railway Board) Limited Departmental Competitive Examinations held during the period of their service in the Armed Forces shall be regulated in accordance with the special orders issued by the Government of India in this behalf, in case they are finally recommended for inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade on the result of the examination

B. D. CHADHA, Under Secy.

APPENDIX-I

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I. (a) Written examination carrying a maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand test in Hindi or in English at 100 w.p.m.

NOTE I.—All the candidates competing for Categories IV, V, VI and VII will be required to take the qualifying shorthand test at the time of the written examination. However, the scripts of only those candidates who qualify at the written examination will be valued.

NOTE II.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriter with them

Part II.—Evaluation of record of service of candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examinations as may be fixed by the Commission at their discretion carrying a maximum of 150 marks

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of Services will be required to take the written examination, will be as follows :—

Sl No	Subject
1	2
(1)	Noting and Drafting, Precis Writing.
(2)	(i) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Categories I & II)
	(ii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Categories IV, V & VI)
	(iii) Procedure & Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. (For Category VIII)
	(iv) Office Procedure & Practice. (For Category III)
	(v) Office Procedure & Practice (For Category VII)
(3)	(i) General Knowledge of the Constitution of India and the Machinery of Government, Practice & Procedure in Parliament. (For Categories I, II, III & VIII)
	(ii) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament (For Categories IV, V, VI & VII)
(4)	(i) General Financial & Service Rules. (For Categories I & VIII)
	(ii) General Financial & Service Rules (For Category II)
	(iii) General Financial & Service Rules (For Category IV)
	(iv) General Financial & Service Rules (For Category V)
	(v) Railway Financial & Service Rules. (For Category III)
	(vi) Railway Financial & Service Rules. (For Category VII)
	(vii) Financial Regulations & Service Rules. (For Category VI)
(5)	General Studies (Code No 02) (Objective Type)

Each paper will carry a maximum of 100 marks and will be of 2 hrs. duration.

NOTE—The paper in General Studies will consist of objective type questions only. For details including sample question please see Candidates' Information Manual appended to Commission's Notice (Annexure-II).

3. Syllabus for the examination will be as shown in the Schedule.

4. Candidates competing for Categories I to VII are allowed the option to answer papers (2), (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari) Paper (1) and paper (4) must be answered in English by all candidates. Question papers will be set in English only.

Candidates competing for Category VIII are allowed the option to answer papers (3) and (5) either in English or in Hindi (Devanagari). Papers (1), (2) and (4) must be answered in English. Question papers will be set in English only.

NOTE 1. The option will be the same for all the three/two papers mentioned above and not for different papers or different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Column 6 of the application form otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

NOTE 3.—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devanagari) may if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version

NOTE 4.—If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used in the examination, the paper(s) of such candidates will not be valued.

5. Candidates competing for Categories IV, V, VI and VII who opt to answer the three papers (2), (3) and (5) in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Test also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the above papers in English will be required to take the Shorthand Test also in English only.

6. The Shorthand Test in English/Hindi would compuse dictation test at the speed of 100 words per minute for ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 50/65 minutes.

7. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstance they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

8. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

12. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination.

WHERE KNOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UPTO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

NOTING AND DRAFTING PRECIS WRITING

In addition to questions requiring candidates to prepare notes and drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Categories I, II, IV, V & VI)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance in the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

PROCEDURE AND PRACTICE IN GOVERNMENT OF INDIA SECRETARIAT AND ATTACHED OFFICES

(For Category VIII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification.

(ii) Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training and Management.

(iii) Intelligence Bureau Standing Orders.

OFFICE PROCEDURE AND PRACTICE

(For Categories III & VII)

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railways (Railway Board) and Attached Offices—some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure issued by the Ministry of Railways (Railway Board) current at the time of the Notification.

(ii) 'Hand Book of Orders regarding use of Hindi for official purposes of the Union' issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT, PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT

NOTE.—Knowledge of the following will be expected (i) the main principles of the Constitution of India, (ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha and (iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and subordinate Offices and their relation *inter se*.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories I, IV and VIII)

The following books are recommended :—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&.Ts compilation or Chaudhuri's compilation).

(ii) The Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.

(vi) Delegation of Financial Power Rules, 1978.

GENERAL FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories II & V)

The following books are recommended :—

1. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation or Chaudhuri's compilation).
2. The Central Civil Services Pension Rules 1972.
3. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.
4. Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged), 1963.
5. Delegation of Financial Power Rules, 1978.
6. Indian Foreign Service (PECA) Rules, 1961.
7. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.
8. Assisted Medical Attendance Scheme.
9. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961.

RAILWAY FINANCIAL AND SERVICE RULES

(For Categories III & VI)

The following books are recommended :—

(i) Indian Railway General Code Vol. I.

(ii) Indian Railway Establishment Code Vol I.

(iii) The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

(iv) The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules 1968

FINANCIAL REGULATIONS AND SERVICE RULES

(For Category VI)

The following books are recommended :—

(1) Fundamental Rules and Supplementary Rules (A.G. PT. Compilation or Choudhury's Compilation).

(2) Central Civil Services Pension Rules, 1972.

(3) Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(4) Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(5) Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(6) Financial Regulations Part I (Revised Edition 1963).

GENERAL STUDIES

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plan and Community Development Schemes, as also intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any textbook, reports etc.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 18th May 1984

RESOLUTION

No. V.19012|4|79-MTP&OP.—1. In supersession of the Ministry of Health and Family Welfare Resolution No. V.19012|4|79-MTP&OP dated 20th January, 1982, the Government of India has decided to reconstitute the Committee to advise the Government on all technical matter connected with the Family Welfare Programme.

2. The Composition of the reconstituted Committee shall be as follows :—

Chairman

1. Addl. Secretary & Commissioner (FW).

Member

2. Director General of Health Services

3. Joint Secretary (FW).

4. Director, National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi

5. Senior Deputy Director General (R.B.) I.C.M.R., New Delhi.

6. President, Federation of Obst. & Gynaecological Society of India or his representative.

7. President, All India Paediatrics Association or his representative.

8. President, Surgeons Association of India or his representative.

9. President, Indian Medical Association or his representative.

10. President, National Association of Voluntary Sterilisation of India or his representative.

11. Dr. Deepak Bhatia, Adviser, Family Planning Foundation, New Delhi.

12. Director of Health Services|State Family Welfare Officer, Maharashtra.

13. Director of Health Services|State Family Welfare Officer, Tamil Nadu.

14. Director of Health Services|State Family Welfare Officer, Uttar Pradesh.

15. Director of Health Services|State Family Welfare Officer, Orissa.

16. Dr. R. P. Soonawala, Nowrosjee Wadia Maternity Hospital, Bombay.

17. Dr. (Miss) M. Kochhar, Medical Supdt., Kasturba Hospital, New Delhi.

18. Dr. (Mrs.) S. Mohsina, Director and Prof. of Gynaecology and Obstetrics, J. N. Medical College, Aligarh.

19. Dr. (Mrs.) Usha Sharma, Director and Prof. Gynaecology & Obst., L.L.R.M. Medical College, Meerut, U.P.

20. Prof. M. M. Kapur, Prof. of Surgery & Officer-in-charge (WHO-CCR), All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

21. Prof. A. N. Gupta, Prof. of Obst. & Gynaecology & Officer-in-charge (WHO-CCR) Post Graduate Institute, Chandigarh.

22. Dr. T. C. Anandkumar, Director, Institute of Research in Reproduction and Officer-in-charge (WHO-CCR) Bombay.

Member Secretary

23. Deputy Commissioner (TO).

Permanent Invitees :

24. Addl. Director General (Medical) Dte. General of Health Services.

25. Addl. Director General (P.H.) Dte. General of Health Services,

26. Deputy Commissioner (MCH).

3. The terms of reference of the Committee shall be to consider and advise Government on all problems including administrative, organisational and technical connected with the implementation of the Family Welfare Programme with particular reference to IUD and Sterilisation procedures, M.T.P. and Oral Contraceptives and any other methods of contraceptions.

4. The Committee shall have power to co-opt|invite experts connected with various aspects of the programme to attend its meeting.

5. The life of the Committee shall be two years.

6. The official members of the Committee will draw TA|DA in connection with meetings of the Committee according to rules by which they are governed and expenditure met from the source they draw their salaries. TA|DA of non-official members will be regulated according to the provisions of S.R. 190 and orders issued their under as contained in Appendix 10 to the Swamy's compilation of F.R. and S.R. Part I & II.

7. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Demand No. 49-Family Welfare, Major Head 281-A Family Welfare, A-1 Direction and Administration, A-1 (1) Technical Wing at Headquarters, A 1(1)(3)-Travel Expenses 1984-85.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for General Information.

S. K. SUDHKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 31st May 1984

RESOLUTION

No. 1-26/83-CSWB.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1-26/83-CSWB, dated 28th September, 1983, the Government of India is pleased to nominate Smt. Maimoona Sultan as representative of the Rajya Sabha on the General Body of the Central Social Welfare Board, *vice* Smt. Sushila Shankar Adivarekar, with immediate effect.

2. The tenure of the General Body will be upto 30th September, 1986.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Govt. of India.
4. President's Secretariat.
5. Prime Minister's Office.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. Department of Company Affairs, New Delhi.
11. The Director of Audit, Central Revenues, New Delhi.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Executive Director, Central Social Welfare Board, New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare, Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. MARWAH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 26th May 1984

RESOLUTION

No. 83-TGIII/462/1.—The Government of India have decided to set up a Central Bookstall Advisory Committee on Indian Railways, which will function in an advisory capacity at the level of the Ministry of Railways.

2 The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Dr. P. L. Malhotra,
Director, National Council
of Educational Research &
Training N.I.E. Campus,
Shri Aurobindo Marg, New Delhi.

Members

2. Shri Jaipal Nangia,
Head, Publication Department
N.C.E.R.T., New Delhi.

3. Shri M. A. Krishnamachari,
Manager (Sales & Marketing)
National Book Trust, India
A-5, Green Park, New Delhi 16

4. Shri M. P. Srivastava,
Additional Director Traffic Comml (G)
Secretary, Railway Board.

3. The following shall be the terms of reference of the Committee :—

(a) to advise on matters relating to selection of books and periodicals for sale through bookstalls on the railways, as may be referred to the Committee for consideration;

(b) to advise on matters relating to selection of books, periodicals for sale through bookstalls on the railways, which individual Members, with the approval of the Chairman, desire to introduce;

(c) to conduct inspections of static bookstalls and mobile libraries for suggesting ways & means for further improvement in the service.

A. JOHARI, Secy., Railway Board & *ex-officio* Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th May 1984

RESOLUTION

No. L-11015/33/82-HINDI.—In continuation of this Ministry's Resolution No. E-11015/1/80-Hindi dated the 14th August, 1981 and 8th February, 1984, the Government of India have decided to nominate Smt. Vidya Chennupati, Member, Lok Sabha in place of Shri K. C. Pandey, Member, Lok Sabha as member of the Soochana Aur Parsaran Hindi Samiti of the Ministry of Information and Broadcasting for the remaining tenure of 3 years of this Samiti with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

DEPARTMENT OF LABOUR

New Delhi, the 2nd June 1984

No. Q-16012/5/83-WF.—In pursuance of Rule 3(i) read with Rule 4(iv) and (vi) of the Rules and Regulations of

the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Dr. V. Venkata Seshaiah, Additional Director, Directorate of Adult Education, Ministry of Education and Culture, Jamnagar House Hutments, New Delhi, as a member on the Central Board for Workers Education in place of Shri R. C. Khetrapal, Assistant Education Adviser, Adult Education Division, Ministry of Education and Culture (Department of Education), New Delhi, from the date of issue of the Notification.

2 The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour Notification No. J-16012/3/79-WE dated 2nd/7th August, 1981 published in the Gazette of India Part-I, Section-I, as amended from time.

For the xisting Entry viz :—

"2,' Ministry of Education and Cultural	Shri R. C. Khetrapal Assistant Education Advisor, Adult Education, Division, Ministry of Education & Cultur, (Department of Education New Delhi.

The following Entry shall be Substituted viz ;—

"2" Ministry of Education and Cultural.	Dr. V, Venkata Seshaish, Additional Director, Direcorate of Adult Education, Block No. 10, Gali No. 5, Jamnagar House Hutments, Shahjahan Road, New Delhi.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984